

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017 (प्रथम नियुक्ति वर्ष 1987)

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह है:- श्री कृष्णकुमार शर्मा, म0प्र0 शासन आ0जा0क0वि0
2. वर्तमान धारित पद:- क्षेत्र संयोजक
3. वर्तमान वेतन:- कुल 63625/- अगली वेतन वृद्धि की तारीख:- 1.7.18

उस जिले उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध हैं	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
दतिया	आवासीय भवन	-	अनुमानित 25.00 लाख	पिता- एम0डी0 शर्मा	विरासत	5000	रिश्तेदार/किरायेदार निवासरत हैं
ग्वालियर	आवासीय भवन	-	अनुमानित 40.00 लाख	पिता- एम0डी0 शर्मा	विरासत	5000	रिश्तेदार/किरायेदार निवासरत हैं

(कृष्णकुमार शर्मा) 10/11/18
क्षेत्र संयोजक

जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास
उज्जैन संभाग उज्जैन


दिनांक 31.12.2017 को धारित चल/अचल सम्पत्ति का विशेष विवरण

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो :- श्री कृष्णकुमार शर्मा, आ0जा0क0वि0
2. वर्तमान धारित पद :- क्षेत्र संयोजक
3. प्रथम नियुक्ति के समय मूल वेतन:- ¹³²⁰ 860-1330 + मंहगाई भत्ता लगभग रु. नियमानुसार प्रतिमाह
4. प्रथम नियुक्ति का पद एवं दिनांक :- मंडल संयोजक 23.01.1990
5. वर्तमान पद का कुल वेतन:- रु. 59100+2955+1570 = 63625 /-

उस जिले उस संभाग तहसील तथा ग्राम का नाम/ जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे गृह तथा आवासीय अन्य भवन प्लॉट एवं कृषि भूमि	सम्पत्ति अर्जित करने का दिनांक व उसका समय का मूल्य	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	यदि विरासत में नहीं है तो शासन को सूचना देना / अनुमति प्राप्त करने का दिनांक	यदि विरासत या भेंट नहीं है तो उसके लिए लगाए गए वित्तीय साधनों का पूर्ण विवरण जिनमें नगद ऋण या भेंट ली है उसका पूरा पता दिया जाए	यदि सम्पत्ति में कोई सुधार/ विस्तार किया है तो उनकी लागत एवं वित्तीय साधनों का विवरण	क्या सुधार/ विस्तार के लिए शासन को नियमानुसार सूचित किया गया या अनुमति ली गई	सम्पत्ति से वार्षिक आय	यदि संपत्ति को बेचा या हस्तांतरण किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ग्वालियर	आवासीय प्लॉट बी 6-पी 139	2002-03 1. 20 लाख	अनुमानित 7.00 लाख	स्वयं	-	क. स्था/ 2/ 24 10/ 13/ 12 / 02	बचत से एवं स्वयं के जी.पी.एफ. द्वारा	-	-	-	-	-
तहसील हुजुर मिसरोद जिला भोपाल	कृषि भूमि 0.9 हेक्टर	04.00 लाख 18.9.09	अनुमानित 8.00 लाख	प्रति श्रीमती दीप्ति शर्मा	खरीदा श्री विजय कुमार शुक्ला	25.8.09	प्रति द्वारा अर्जित आय से बचत 3.00 लाख एवं स्वयं की आय की बचत से	-	डायवर्सन करवाया गया	-	-	-

27

उस जिले उस संभाग तहसील तथा ग्राम का नाम/ जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे गृह तथा आवासीय अन्य भवन प्लाट एवं कृषि भूमि	सम्पत्ति अर्जित करने का दिनांक व उसका उस समय का मूल्य	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद पट्टा बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	यदि विरासत में नहीं है तो शासन को सूचना देना / अनुमति प्राप्त करने का दिनांक	यदि विरासत या भेंट नहीं है तो उसके लिए लगाए गए वित्तीय साधनों का पूर्ण विवरण जिनमें नगद ऋण या भेंट ली है उसका पूरा पता दिया जाए	यदि सम्पत्ति में कोई सुधार/ विस्तार किया है तो उनकी लागत एवं वित्तीय साधनों का विवरण	क्या सुधार/ विस्तार के लिए शासन को नियमानुसार सूचित किया गया या अनुमति ली गई	सम्पत्ति से वार्षिक आय	यदि संपत्ति को बेचा या हस्तांतरण किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण	अभ्युक्ति
ग्राम पंचायत राउ कामायनी नगर इन्दौर	आवासीय भवन एच. आई.जी. सी.नि. 03	27.00 लाख दि. 9.5.11	अनुमानित 35.00 लाख	स्वयं एवं पत्नि	म0प्र0 हाउसिंग बोर्ड इन्दौर	14/8/2011	एचडीएफसी बैंक से ऋण 14.00 लाख श्रीराम शर्मा सागर भाई से भेंट राशि 5.00 लाख श्री सी.पी. मिश्रा ससूर जबलपुर से 5.00 लाख भेंट राशि श्री श्याम शर्मा भाई सागर से 2.50 लाख रु0	-	-	-	-	म0प्र0 हाउसिंग बोर्ड इन्दौर द्वारा भवन अपूर्ण होने से आज दि. तक भवन का आधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ ।


 कृष्णकुमार शर्मा
 क्षेत्र संयोजक 10/11/18
 आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास
 उज्जैन संभाग उज्जैन